प्रथम सूचना रिपोर्ट, हिरासत, रिमांड
और
जमानत से सम्बन्धित कानून

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

पुलिस से संबंधित अधिकार

पुलिस से हमारा कई तरह से संपर्क होता है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिये है इसीलिये उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। पुलिस अपने इन अधिकारों और ताकत का दुरूपयोग न करे, इसलिये यह जानना जरूरी है कि पुलिस से संबंधित हमारे अधिकार क्या हैं।

जब आप पुलिस से संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातें याद रखनी चाहिएः

- हमारे देश का कानून सब पर लागू होता है।
- पुलिस हम नागरिकों और कानून की रक्षा के लिये है।
- सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर हों या गरीब, कमजोर हों या ताकतवर, कानूनन सुरक्षा का बराबर अधिकार है।
- पुलिस को कुछ विशेष अधिकार हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी मनमानी करें। उन्हें भी कानून के मुताबिक चलना होता है।
- कानून कहता है कि अगर पुलिस किसी से दुर्व्यवहार करती है तो उसे भी दंड दिया जा सकता है।
- यह निहायत जरूरी है कि आपको अपने अधिकारों की जानकारी हो और उनकी मांग करें। आपको अपने हक बलपूर्वक जताने चाहिए और उनका दावा करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो आपको उंचे से उंचे, बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाने से घबराना नहीं चाहिये।
- पुलिस की पूर्ण सहायता लेने के लिए, आपको भी पुलिस को पूरा सहयोग देना चाहिए। मगर कुछ बुनियादी अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 वह कानून है जिसम भिन्न अपराध और उनकी सजा के बारे म लिखा गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 वह कानून है जिसमें लिखा है कि पुलिस और न्यायालयों को अपनी कार्यवाही कैसे करनी होगी।

प्रथम सूचना रिर्पोट
(FIR)

हम लोग गांव में रहते हैं। यहाँ के जमींदार और दूसरे 'बड़े लोग' हमें हमेशा तंग करते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमारी बेटी बसन्ती स्कूल से घर आ रही थी। तब जमींदार के यहां काम करने वाले लड़कों ने उसके साथ छेडखानी की। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए?

किसी के साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार करना अपराध है। हर कोई जानता है कि लड़कियों या महिलाओं के साथ छेड़खानी या उन्हें तंग करना भी अपराध है। अगर आपके साथ ऐसा जुर्म हुआ है तो आप तुरन्त पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवायें। बेहतर होगा अगर रिपोर्ट लिखवाते समय आप किसी रिश्तेदार या जान-पहचान वाले किसी व्यक्ति को साथ ले जायें। रिपोर्ट लिखवाने अकेले भी जा सकते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए किसी के साथ जाना ठीक रहता है।

रिपोर्ट क्या है?

रिपोर्ट का मतलब है कि आप पुलिस को जाकर बतायें कि कोई अपराध किया गया है। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या 'एफ.आई.आर.' (FIRST INFORMATION REPORT) कहते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू करेगी।

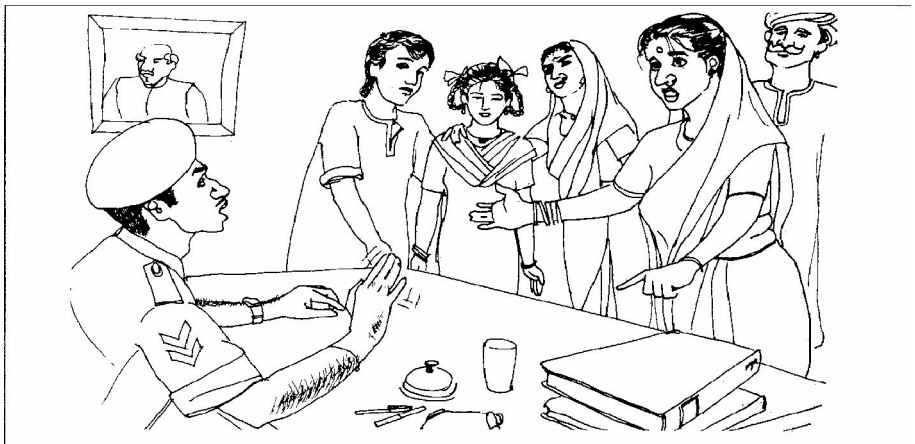

पुलिस शिकायत दर्ज न करे तो किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ।

बड़े अधिकारियों से सहायता लो।

- जब बसन्ती अपने माँ-बाप के साथ पुलिस में छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवाने गयी तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दिया क्योंकि जिन लड़कों ने छेड़खानी की थी वे पुलिस वाले की पहचान के थे। ऐसे में क्या करना चाहिये?

- यदि पुलिस रिपोर्ट न लिखे, तो अपनी शिकायत लिख कर पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) को डाक द्वारा भेजनी होगी। चिट्ठी पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए।

- वे इस शिकायत की जाँच करेंगे और अगर उन्हें लगेगा कि कोई अपराध हुआ है तो वे थानेदार को रिपोर्ट लिखने का आदेश देंगे या स्वयं उसकी जाँच करेंगे।

- अगर मामला गंभीर है और तुरन्त कार्यवाही की जरूरत है तो आप एस.पी./डी.एस.पी. इत्यादि जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से मिल भी सकते हैं। मिलने पर भी लिखित आवेदन जरूर दें।

- अगर पुलिस के बड़े अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप घटना की विस्तृत जानकारी लिखकर मैजिस्ट्रेट को दीजिये।

- मैजिस्ट्रेट जाँच अधिकारी को छानबीन का आदेश देंगे। वे खुद भी जाँच कर सकते है।

एक बार सुनीता अपने माँ-बाप के साथ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गयी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह मैजिस्ट्रेट के पास जाकर उन्हें घटना की जानकारी दे। ऐसा क्यों?

जब सुनीता ने सारी घटना पुलिस को बतायी तो पुलिस ने जाना कि सुनीता जिस शिकायत को लेकर आयी है वह असंज्ञेय अपराध है।

असंज्ञेय अपराध की तरह के निजी विवाद है जिनसे आम जनता का कोई सरोकर नहीं होता। जैसे बदनामी करना, गर्भवती होने पर नौकरी से निकाल दिया जाना, किसी को मामूली चोट पहुँचाना आदि।

पुलिस को असंज्ञेय मामलों की जाँच का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर मैजिस्ट्रेट उन्हें जाँच का आदेश दें तब अवश्य ही पुलिस जाँच कर सकती है।

क्या सुनीता सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत कर सकती है?

- हाँ, सुनीता मैजिस्ट्रेट के पास जाकर जुबानी या लिखित शिकायत दे सकती है।

- अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि सुनीता के साथ असंज्ञेय अपराध हुआ है तो वह पुलिस को जाँच करने का आदेश देंगे।

- ऐसे मामलों को छोड़कर बाकी सारे मामलों में पुलिस को रिपोर्ट लिखनी होगी।

अपराध की रिपोर्ट कैसे लिखवाई जाती है?

- रिपोर्ट मुँह जबानी या लिखित हो सकती है।

- आपकी रिपोर्ट में सारी आवश्यकता जानकारी होनी चाहिये। मतलब आपका नाम, पता, अपराधी का नाम-पता (अगर मालूम हो तो), उसका हुलिया, क्या अपराध हुआ है उसकी जानकारी, अपराध कैसे और कहाँ हुआ है उसकी जानकारी।

- अगर अपर रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं तो जुबानी सारी घटना पुलिस को बतायें। पुलिस उसे लिखकर आपको पढ़कर सुनाएगी। अगर आपको लगता है कि शिकायत ठीक लिखी है तो आप अपने दस्तखत या अंगूठा उस पर लगायें। परन्तु अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं लिखी है तो आप उसे ठीक करवायें। फिर दस्तखत करें। जब कोई रिपोर्ट पुलिस लिखती है, उसे एफ.आई.आर. कहते हैं।

- गलत एफ.आई.आर. पर दस्तखत नहीं करना चाहिए।

पुलिस शिकायत दर्ज न करे तो मैजिस्ट्रेट के पास जाओ।

- पुलिस को चाहिए कि वह आपको रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) की एक प्रति अवश्य दे। यह आपका हक है। एफ.आई.आर. की कॉपी आपको मुफ्त दी जाएगी। कॉपी एफ.आई.आर. तर्ज होने के समय तुरन्त दी जानी चाहिए।

- वैसे आपको रिपोर्ट लिखवाते समय किसी गवाह की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, वह कोई 'बड़ा आदमी' है या उसकी पुलिस में पहचान है और उस वजह से पुलिस आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकती है तो अपनी सुरक्षा के लिये आप अपने साथ अवश्यक ही किसी जान-पहचान के व्यक्ति को ले जायें।

रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) कब दर्ज करायें?

- घटना के बाद तुरन्त रिपोर्ट लिखवायें, यह आवश्यक है। यह इसीलिये, कि सबूत मिलने में और अपराधी को पकड़ने में आसानी होती है।

- अगर आपको अपराधी का नाम, पता आदि मालूम है तो यह जानकारी 'एफ.आई.आर.' (रिपोर्ट) दर्ज कराते समय ही पुलिस को दें।

- अगर किसी कारण से रिपोर्ट लिखवाने में आपसे देरी होती है तो उस कारण को भी रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में लिखवायें, यह भी जरूरी है।

एफ.आई.आर. दर्ज कराने में कितना खर्च होता है?

- एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। सरकार इसका खर्च उठाती है। अगर कोई एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए पैसे माँगता है, तो वह रिश्वत है और इस बात को लिखित रूप में उच्च अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

अपराध की शिकायत कहाँ करनी चाहिए?

अपराध की शिकायत घटना-स्थल से नजदीकी पुलिस थाने में की जानी चाहिए। अगर पुलिस को लगता है कि अपराध किसी और थाने के अन्तर्गत आता है, तब भी उन्हें एफ.आई.आर. दर्ज करना पड़ेगा और फिर उसे सही थाने में अंतरण करनी होगी। इसके लिए यह 'शून्य' एफ.आई.आर. दर्ज करते हैं और फिर उसे सही थाने में भेज देते हैं।

प्रश्न 1 ***प्रथम सूचना रिर्पोट (FIR) किस व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है?***

उत्तर कोई भी व्यक्ति जो स्वयं किसी अपराध/कृत से पीड़ित हो या जिसने किसी अपराध को घटित होते देखा हो या किसी अन्य माध्यम से किसी अपराधिक घटना की जानकारी रखता हो के द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट (FIR) दर्ज करवाई जा सकती है।

प्रश्न 2 ***क्या पुलिस प्रथम सूचना रिर्पोट (FIR) दर्ज करने के लिए वाध्य है?***

उत्तर हाँ, पुलिस किसी भी सूचना को प्राप्त होने पर, जो संज्ञेय अपराध के बारे में है, चाहे वह लिखित तथा मौखिक है, प्रथम सूचना रिर्पोट (FIR) दर्ज करने के लिए बाध्य है। सर्वोच्च न्यायाल ने ''प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब सरकार (2007) 1 SCC 1 में इस वर्णित किया है।

प्रश्न 3 ***प्रथम सूचना रिर्पोट (FIR) की कापी किस को मिल सकती है या कौन प्राप्त कर सकता है?***

उत्तर प्रथम सूचना रिर्पोट (FIR) की कापी सूचनाकर्ता सम्बन्धित पुलिस थाना से मुक्त प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 4 ***अगर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने से मना कर देता है तो?***

उत्तर अगर एस.एच.ओ./सम्बन्धित अधिकारी इनकार करता है तो पीड़ित व्यक्ति इसकी लिखित सूचना एस.पी. को स्वयं मिलकर या डाक द्वारा भेज सकता है और यदि एस.पी. को लगता है कि सूचना/शिकायत से संज्ञेय अपराध का कारित होना पाया जाता है तो एस.पी. स्वयं या अपने किसी निम्न अधिकारी को जाँच करने बारे आदेश पारित कर सकता है।

प्रश्न 5 ***क्या पुलिस अधिकारी सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर कार्यवाही कर सकता है?***

उत्तर हाँ एस.एच.ओ./पुलिस अधिकारी को जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो वह अधिकारी सम्बन्धित

मैजिस्ट्रेट की इजाजत लिए बगैर कार्यवाही कर सकता है। अगर सूचना किसी असंज्ञेय अपराध के बारे में है तो–मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के बगैर कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

प्रश्न 6 ***अगर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी तथा उच्च अधिकारी किसी सूचना को दर्ज नहीं करता तथा आनाकानी करता है तो व्यक्ति क्या कर सकता है?***

उत्तर यदि पुलिस अधिकारी तथा उच्च पुलिस अधिकारी सूचना दर्ज नहीं करता है तो पीड़ित व्यक्ति सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट को इसकी एक लिखित शिकायत कर सकता है। तथा मैजिस्ट्रेट अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो कि धारा 190 में निहित है, सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को धारा 156(3) में सूचना दर्ज करने बारे तथा कार्यवाही करने बारे आदेश दे सकता है।

प्रश्न 7 ***प्रथम सूचना रिर्पोट (FIR) कहाँ दर्ज की जा सकती है?***

उत्तर प्रथम सूचना रिर्पोट (FIR) कहीं भी तथा किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है परन्तु जिस पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में घटना घटित होती है तथा अपराध कारित होता है, साधारणतय वहाँ प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की जाती है।

---000---

हिरासत

गिरफ्तारी

पिछले सप्ताह कमला अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार गयी थी। अचानक कुछ पुलिस वाले आये और उन्होंने उसे कहा कि उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है। उन्होंने कमला को गिरफ्तार कर लिया। दो पुलिस वाले उसके हाथ पकड़ कर उसे थाने ले गये। जब उसकी सहेलियों ने उसके साथ थाने जाना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया।

गिरफ्तारी से संबंधित निम्न अधिकारों की जानकारी जरूरी है:

- गिरफ्तारी के समय पुलिस को आपको यह बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है।
- यह भी बताना आवश्यक है कि आपका जुर्म क्या है।
- सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस को आपका जुर्म बताना जरूरी है।

थाने ले जाने के लिये किसी को भी हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती।

- कुछ अपराधों के लिये बिना 'वारन्ट' के भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है इसलिये यह जरूरी नहीं है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस आपको वारन्ट दिखाये।

- आप कानूनी सहायता ले सकती हैं, जैसे कि किसी वकील को बुलाकर उसकी सलाह लेना। आमतौर से पुलिस आपकी इस मांग को मंजूरी दे देती है बशर्ते वकील को थोड़े समय में बुलाया जा सके।

- गिरफ्तारी के समय, जोर जबरदस्ती करना गैर-कानूनी है। हिरासत में लेने के लिए जितना कम से कम जोर लगता हो उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप को पुलिस हिरासत में दे दे, तो उसे हाथ लगाना भी जायज नहीं है।

- किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस ऐसा करना जरूरी समझे, तो न्यायिक मैजिस्ट्रेट का आदेश लेना जरूरी है।

- गिरफ्तारी के समय हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। इस समय हथकड़ी लगाना गरै-कानूनी है। हथकड़की केवल उन व्यक्तियों को लगाई जा सकती है जो माने माने अपराधी हों, या जिनके भागने की घोर आशंका हो, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ मैजिस्ट्रेट को सामने पेश करने तक हथकड़ी लगाई जा सकती है। उसके बाद, हथकड़ी लगाने के लिए मैजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है।

- गिरफ्तारी के बाद तुरन्त पुलिस को मैजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देनी होगी।

- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर-अन्दर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना जरूरी है।

- बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है।

रमा को शनिवार को सुबह नौ बजे पुलिस ने चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया। रविवार को कोर्ट बंद रहता है। तो क्या रमा को शनिवार और रविवार दोनो दिन थाने में बंद रहना पडेगा?

नहीं, रमा की पेशी 24 घंटे के अन्दर ही होगी। शानिवार और रविवार या किसी भी त्यौहार की छुटटी वाले दिन भी अदालत में डयूटी मैजिस्ट्रेट/स्पेशल मैजिस्ट्रेट बैठते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की उन्हीं के सामने पेशी होगी।

24 घंटो में पुलिस स्टेशन से अदालत पहुँचने या यात्रा में लगे समय को नहीं गिना जायेगा।

पुलिस आपके पहचानवालों या रिश्तेदारों को आपके साथ आने से नहीं रोक सकते।

थाने में

पुलिस ने कमला को पुलिस स्टेशन के एक छोटे कमरे में धकेल कर बन्द कर दिया और जब तक उसके घरवाले वहां पहुंचे कुछ पुलिस वाले उसका बलात्कार कर चुके थे। कमला एक कोने में सहमी सी बैठी, सुबक-सुबक कर रो रही थी।

- पुलिस हिरासत में सताना, मारपीट करना या किसी अन्य तरह की यातना देना गंभीर अपराध है।

- आपकी सुरक्षा के लिये आपके पहचान वालों या रिश्तेदारों को आपके साथ पुलिस स्टेशन जाने का हक है। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें साथ चलने से रोके। अगर पुलिस ऐसा करती है तो इसमें गड़बड़ की आशंका है और आपको सचेत रहना चाहिए।

अगर आपके साथ पुलिस हिरासत में बुरा-व्यवहार या मारपीट हो, तो आप मैजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकते हैं

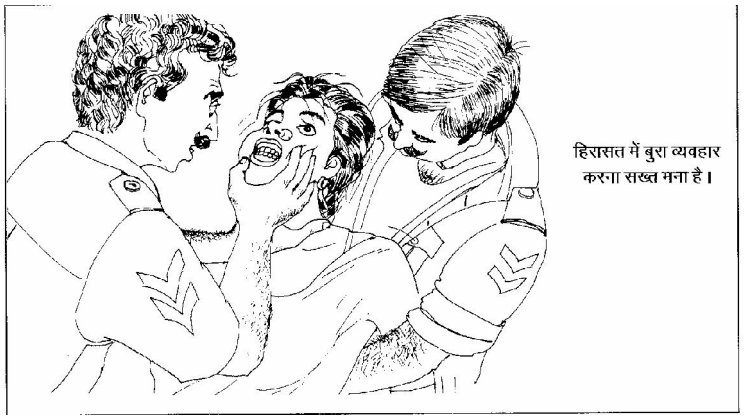

हिरासत में बुरा व्यवहार करना सख्त मना है।

- अगर पुलिस का कोई अधिकारी तुम्हें सताता है तो उसका नाम और हुलिया याद करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही की जा सके।

- अगर पुलिस स्टेशन पर कोई मार-पीट, बलात्कार इत्यादि हो, तो तुरन्त डॉक्टरी जांच की मांग करनी चाहिये। सरकारी डॉक्टर जांच करेगा और तुम्हें लगी चोटों की डॉक्टरी रिपोर्ट देगा। इसके बाद तुम्हें मैजिस्ट्रेट को शिकायत करनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट भी डॉक्टरी जांच का आदेश दे सकते हैं।

हिरासत में मार-पीट, बुरा व्यवहार होने पर डॉक्टरी जाँच की माँग करें।

मैजिस्ट्रेट के सामने डॉक्टरी जाँच की माँग करें।

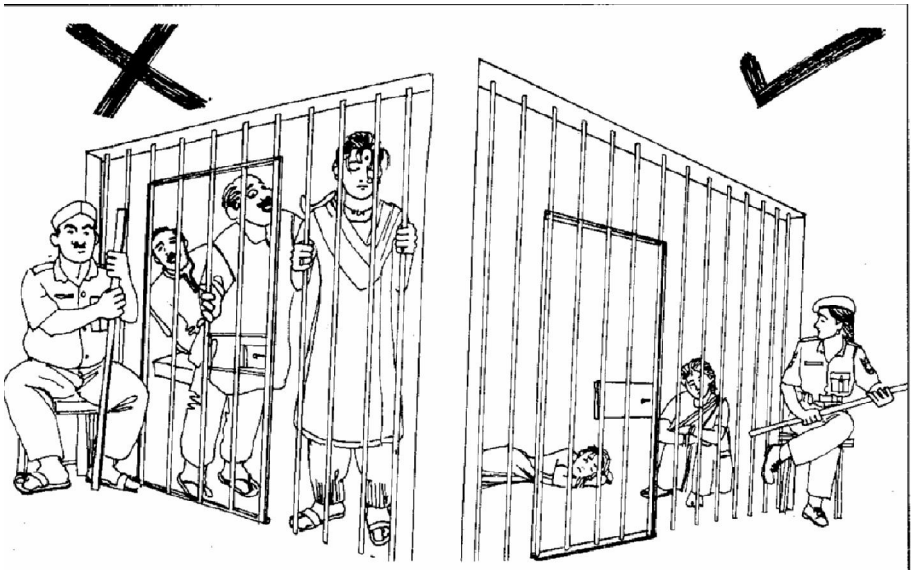

औरत को केवल औरतों वाले कमरे में रखा जा सकता है।

गिरफ्तार होने पर तुरन्त वकील की माँग करो।

- तुम्हें मांग करनी चाहिये कि पुलिस स्टेशन में तुम्हें उस कमरे में रखें जहाँ स्त्रियों को रखा जाता है। अगर ऐसा कोई कमरा वहाँ नहीं है तो जिस पुलिस स्टेशन में ऐसा कमरा है वहाँ बदली की मांग करनी चाहिए।

- पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस उपस्थित रहे इस बात की माँग करनी चाहिए।

पूछताछ

रानो एक मिल में काम करती है। कुछ दिन पहले मिल में एक चोरी हो गयी। मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और जिन व्यक्तियों पर शंका थी उनके नाम लिखवाये। उस पर पुलिस ने कुछ मजदूरों के साथ रानो को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने रानो से जबरदस्ती कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करवाये। बाद में रानो को पता चला कि वे कागज जुर्म का इकरार-नामा थे। अब क्या रानो को अपराधी मानकर जेल भेजा जायेगा?

- सबसे पहले यह याद रखिये कि आप बिना पढ़े या बिना जाने किसी भी कागज पर कभी दस्तखत ना करें न ही अंगूठा लगायें। अगर आप अनपढ़ हैं तो किसी ओर से पढ़ने के लिए कहें। थाने में भी आप किसी से पढ़ने के लिए कह सकते हैं।

- पुलिस के समाने की गयी जुर्म कबूली का कोई महत्व नहीं होता। यानि उसके आधार पर आपको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।

- मैजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया गया जुर्म मान्य है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट के समाने जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस आप पर दबाव डालती है तो आपको साफ इन्कार कर देना चाहिये और मैजिस्ट्रेट को बता देना चाहिए कि जुर्म कबूल के लिए आप पर दबाव डाला जा रहा है।

कुछ दिन पहले पुलिस का एक आदमी सुषमा के घर आया और कहने लगा कि वह किसी मामले की तहकीकात कर रहा है और उस सिलसिले में सुषमा को पुलिस स्टेशन ले गया। कुछ दिन बाद फिर वह आधी रात के वक्त आया और सुषमा के पति को पुलिस स्टेशन ले गया। बहुत

दिनों से पुलिस वाले सुषमा और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। क्या कानून ऐसे में किसी को बचा सकता है?

पुलिस को भी अपना काम कानून के कुछ नियमों के मुताबिक करना होता है। ये नियम हैं:-

पुलिस को दिया गया बयान मान्य नहीं है।

- किसी भी महिला से पूछताछ सिर्फ उसके घर पर ही की जा सकती है, और कहीं नहीं। महिला पूछताछ के लिए थाने जाने से मना कर सकती है। पुरूष को भी थाने में पूछताछ के लिए सिर्फ लिखित आदेश से बुलाया जा सकता है। 15 वर्ष से कम पुरूष को भी पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता।

- पूछताछ के लिए कानूनन कोई खास वक्त नियत नहीं है। हम किसी तय वक्त पर ही पूछताछ करने के लिए नहीं कह सकते।

- परन्तु अगर हमें लगता है कि पुलिस ऐसे समय पर ही आती है, जिससे हमें परेशानी और शर्मिन्दगी हो या हमारी मर्यादा का उल्लंघन होता हो तो हम मैजिस्ट्रेट से किसी खास समय ही सवालात किये जाने की मांग कर सकते हैं।

क्या सवाल-जवाब के वक्त किसी वकील की या दोस्त की मदद ली जा सकती है?

- जी हाँ, आप अवश्य ही किसी वकील या दोस्त/रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। आमतौर पर पुलिस इसके लिये मना नहीं करती है।

- अगर आपको लगता है कि आपको किसी झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है तो जवाब देने से इन्कार कर सकते हैं।

किसी महिला को पूछताछ के लिये थाने नहीं ले जा सकते।

पूछताछ केवल महिला के घर पर हो सकती है।

- बाकी सारे सवालों के सच्चे जवाब देने चाहिये।

- आपसे कोई बात कहलवाने के लिये पुलिस कर्मचारी आपको कोई लालच नहीं दे सकते हैं।

- पुलिस अफसर आपको डरा-धमका नहीं सकते हैं। साथ ही वे आपको केवल सवाल या पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में या थाने (लॉक अप) में नहीं रख सकते।

- पुलिस आपसे किसी कागज पर दस्तखत या अंगूठा नहीं लगवा सकती है।

तलाशी

एक दिन कुछ पुलिस वाले लाजो की पान की दुकान पर आये और उस पर चोरी का माल रखने का आरोप लगाया। उन्होंने उसकी दुकान की और उसके कपड़ों की भी तलाशी ली। उन्होंने दावा किया कि उन्हें तलाशी में कुछ सामान मिला। जब लाजो को कोर्ट के आगे पेश किया गया तो उसने मैजिस्ट्रेट को बताया कि पुलिस ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। मैजिस्ट्रेट बोले, कि पुलिस ने गलत काम किया था। उन्होंने कहाः–

- सिर्फ एक महिला ही किसी महिला के शरीर की तलाशी ले सकती है। तब भी, तलाशी लेते समय महिला के साथ कोई भद्दा सुलूक नहीं होना चाहिये।

पुरुष पुलिसकर्मी किसी औरत के शरीर की तलाशी नहीं ले सकता।

- कोई पुरूष पुलिस अधिकारी किसी महिला के शरीर की तलाशी नहीं ले सकता। यह गैर–कानूनी है। वह पुरूष पुलिस अधिकारी को अपने शरीर की तलाशी लेने से इन्कार कर सकती हैं।

अगर कोई महिला पुलिस अफसर तलाशी के लिए उपलब्ध नहीं है, तब किसी और महिला को शरीर की तलाशी लेने के लिए कहा जा सकता है।

- पुरूष पुलिस अधिकारी आपके मकान या दुकान की तलाशी ले सकते हैं।

- तलाशी चोरी के समान, फर्जी दस्तावेज इत्यादि के लिए ही की जा सकती है। बिना कार्यवाही की तलाशी गैरकानूनी है।

- तलाशी के लिये मैजिस्ट्रेट वारन्ट की आवश्यकता होती है।

- किसी भी तलाशी और बरामदी के वक्त आसपास रहने वाले किन्ही दो अपक्षपाती और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को होना जरूरी है।

- तलाशी का पंचनामा बनाना जरूरी है। अगर कोई वस्तु जब्त की जा रही है तो उसके बारे में पंचनामें में लिखा होना चाहिये। इस पंचनामें पर उन दो प्रतिनिष्ठत व्यक्तियों के दस्तखत होने जरूरी हैं जो तलाशी के वक्त मौजूद थे। इस पंचनामे की एक प्रति आपको दी जानी चाहिए।

- तलाशी लेने वाले की भी तलाशी ली जा सकती है।

---000---

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

डी.के.बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(1997 1 SCC 416)

पुलिस की हिरासत में होने वाली यातनाओं में लगातार वृद्धि को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी, पूछताछ एवं समय में बरती जाने वाली सावधानीयों के लिए कुछ निर्देश दिये हैं:-

गिरफ्तारी और पूछताछ के समय

- सभी पुलिस कर्मचारी एक पट्टी लगाएंगे जिस पर उनका नाम एंव पद स्पष्ट रूप से लिखा हो

- जो पुलिस अधिकारी पूछताछ में शामिल है उनका ब्यौरा, रजिस्टर में दर्ज होनो चाहिए।

गिरफ्तारी पर्चा (मैमो ऑफ अरेस्ट)

- गिरफ्तारी करते समय पुलिस एक गिरफ्तारी पर्चा बनाएगी।

- इस पर्चे पर कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे। यह गवाह गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है अथवा उस क्षेत्र को कोई जाना-माना व्यक्ति भी हो सकता है।

- इस पर्चे पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर, होने चाहिए।

- इस पर्चे पर गिरफ्तारी का समय और तारीख दर्ज होनी चाहिए।

निरीक्षण पर्चा (इन्सपैक्शन मैमो)

- गिरफ्तार व्यक्ति के बदन पर साधारण अथवा गम्भीर चोटों की जाँच होनी चाहिए।

- यदि चोट हो तो वह निरीक्षण पर्चे पर दर्ज होनी चाहिए।

- निरीक्षण पर्चे पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी, दोनो के हस्ताक्षर होंगे।

- इस निरीक्षण पर्चे की एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

आपका यह अधिकार है कि आपकी गिरफ्तार की एवं विरोध की सूचना किसी को दी जाये।

- गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी या विरोध की सूचना उसके रिश्तेदार, अथवा किसी मित्र को दी जाये।

- गिरफ्तार करके रखे जाने वाले स्थान के बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाये।

- अगर वह मित्र या रिश्तेदार किसी अन्य जिले या शहर में रहते हैं तो वहाँ के थाने को तार के माध्यम से गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के अन्दर सूचना दी जानी चाहिए।

- यह सूचना उस जिले के कानूनी सलाह केन्द्र के माध्यम से भी दी जा सकती है।

थाने में रोजनामचा (डायरी)

- रोजनामचा में गिरफ्तारी के तथ्य दर्ज होने चाहिए।

- उसमें जिस मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी है, उसका नाम और पता भी दर्ज होना चाहिए।

- जिस पुलिस अधिकारी की हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया हो उस पुलिस अधिकारी का नाम व अन्य विवरण दर्ज होनी चाहिए।

डॉक्टरी जांच का अधिकार

- गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच गिरफ्तारी के उपरान्त हर 48 घंटे के बाद एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा करवाई जाये।

- जांच करने वाला डॉक्टर उस राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा संचालक द्वारा चुने गये पैनल का सदस्य होना चाहिए।

- स्वास्थ्य सेवा संचालक इस तरह ही पैनल सभी तहसीलों एवं जिला मुख्यालयों के लिए तैयार करनी चाहिऐ।

कानूनी सहायता का अधिकार

- गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इलाका मैजिस्ट्रेट

- गिरफ्तारी से संबंधित सभी कागजों की एक नक्ल इलाका मैजिस्ट्रेट के लिए भेजनी होगी।

- इसमें गिरफ्तारी पर्चा भी शामिल है।

पुलिस कन्ट्रोल रूम

- सभी जिलो व राज्य मुख्यालयों पुलिस कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जाने चाहिए।

- पुलिस का यह कर्तव्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को रखने के स्थान की सूचना कन्ट्रोल रूम को भेजें।

- यह सूचना गिरफ्तार के 12 घंटे के अन्दर इस कन्ट्रोल रूम को भेजनी चाहिए।

- यह जानकारी कन्ट्रोल रूम में ऐसे नोटिस बोर्ड पर साफ शब्दों में लगाई जाने चाहिए जिस पर आसानी से नजर पड़े।

हिरासत के दौरान हुई मृत्यु में मानव आयोग द्वारा दिये गये निर्देश

1. आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार यदि पुलिस हिरासत या जेल में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी सूचना 24 घण्टे के अन्दर आयोग को भेजी जानी चाहिए। अगर ये सूचना इस दौरान नहीं दी जाए तो आयोग यह मानकर चलेगा कि प्राधिकारी इस मृत्यु से जुड़े तथ्यों को छपाने की कोशिश कर रहा है।

2. ये सुनिश्चित करने के लिए कि मृत्यु की सूचना तुरन्त और सही दी गई है, आयोग ने राज्यों को ये निर्देश दिये है कि शव परीक्षण की विडियो फिल्म उतारी जायेगी और उसे आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

3. आयोग ने यह निर्देश दिए है कि हर राज्य के पुलिस मुख्यालय में मानव अधिकार सेल बनाये जाएँ।

4. आयोग ने राज्य सरकार को मुफ्त दूरभाष सेवा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव दिया है। यह सूचना लिखते समय सूचना देने वाले को जबरदस्ती अपना नाम व पता बताने को न कहा जाए।

हिरासत में हिंसा व मृत्यु के मामलों को सीधे राज्य के उच्च न्यायालय में एक यचिका द्वारा ले जाया जाए। हिरासत में हिंसा के शिकार हुए लोगों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।

---000---

रिमांड

किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जब मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मैजिस्ट्रेट तीन चीज़े कर सकता है।

1. जमानत पर छोड़ दे।

2. पुलिस हिरासत में भेज दे।

3. न्यायिक हिरासत में भेज दे।

रिमांड का मतलब है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजना।

पुलिस हिरासतः किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने के वक्त पुलिस उसकी हिरासत माँग सकती है ताकि वह पूछताछ जारी रख सके। कोर्ट लिखित आदेश से यह स्वीकार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति को फिर पुलिस थाने ले जाया जाएगा। किसी व्यक्ति को कुल 15 दिनों से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पुलिस रिमांड के दौरान किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार, मारपीट इत्यादि, गैरकानून है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस बात की शिकायत मैजिस्ट्रेट से दोबारा पेश किए जाने पर अवश्य करें।

न्यायिक हिरासत : इसे 'जे.सी.' (जुडिशियल कस्टडी) भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आरोपी को कोर्ट के संरक्षण में, जेल में रखा जाएगा और वहा कार्यवाही के लिए वहीं से पेश होगा। न्यायिक हिरासत एक समय पर केवल 15 दिन के लिए हो सकती है। यानि हर 15 दिन हिरासत में रहने के बाद बंदी को फिर मैजिस्ट्रेट के सामने बंदी को शारीरिक रूप से पेश करना आवश्यक है। केवल कोर्ट के लॉक अप तक ले जाना काफी नहीं। बिना जज के सामने पेश किए हिरासत की अवधि बढ़ानी गैर कानूनी है।

क्या अपराध की कार्यवाही चलने तक पूरे समय आरोपी को जेल में रहना पड़ेगा?

यदि आरोपी की जमानत न हो तो उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। हाँ, आरोपी चाहे तो बार-बार जमानत की अर्जी लगा सकता है। हर आरोपी को जल्द मामले के निपटारें का अधिकार है। इसीलिए कानून में यह प्रावधान है

कि यदि जाँच एक समय सीमा में नहीं खत्म की जाती, तो आरोपी को जमानत पर छूटने का हक है।

यह समय सीमा क्या है?

जिन अपराधों की सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल का कारावास है, उनमें जाँच/आरोप पत्र 90 दिन के अन्दर पूरी न होने से आरोपी जमानत का हकदार हो जाता है। बाकी अपराधों के लिए, जाँच/आरोप पत्र 60 दिन के अन्दर पूरी न होने से आरोपी जमानत का हकदार हो जाता है।

---000---

जमानत

कुछ समय पहले यह सुनने में आया था कि हमारे गांव में अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ दिया गया है।

जमानत क्या है?

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपराध की सुनवाई के दौरान कार्यवाही के लिए उपस्थित रहने की शर्त पर छोड़ा जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति खुद या उसकी ओर से कोई और जिम्मेदारी लेते हैं। इसी को जमानत कहते हैं।

अपराध दो प्रकार के होते हैंः जमानती और अजमानती। जमानती अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार होता है। अजमानती अपराध में मैजिस्ट्रेट के आदेश पर ही छोड़ा जा सकता है।

गिरफ्तार करते वक्त पुलिस को यह बताना होगा कि उस जुर्म के लिये पुलिस आपको जमानत पर छोड़ सकती है या जमानत के लिए मैजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है। पुलिस खुद यह जानकारी नहीं देती है तो तुम्हें पूछकर इसका पता लगाना चाहिये।

याद रखिये - जिस जुर्म म जमानत पर छोड़ने की व्यवस्था ह उसके लिये आपको जमानत मिलना आपका अधिकार है। हाँ, जमानत के लिये जमानत जमानत पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही किसी व्यक्ति की जमानत भी लगेगी। मतलब यह है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिसके लिए पुलिस आपकी जमानत नामंजूर नहीं कर सकती।

जमानत पर छूटने का मतलब बरी होना नहीं है। जमानत पर छूटन के बाद गवाहो को बहकाने, डरान या सबूतों के साथ छेड़छाड करने पर जमानत रद्द की जा सकती ह और आरोपी का फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है।

कौन से जुर्म जमानती ह और कौन से अजमानती यह सूची कानून म ही दी गई है, पुलिस या कोर्ट की मर्जी पर निर्भर नही है।

जमानत की अर्जी में क्या लिखना होगा?

अर्जी में निम्नलिखित बातें लिखनी होगीः

- आपका नामः
- आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया हैः
- आपको किस तारीख को गिरफ्तार किया गया हैः
- आपका पता, आप वहाँ पर कितने सालों से रह रहे है और आपके परिवार का संक्षिप्त विवरणः
- यह मकान आपका है/आपके पिता का है या फिर किराए का हैः
- यदि मकान किराए का है तो मकान मालिक का संक्षिप्त विवरणः
- आप कहाँ काम करते है, कितने साल से काम कर रहे है उसका संक्षिप्त विवरणः
- आपको इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है-तभी लिखे जब यह सच होः- लिखें कि आपने यह गुनाह नही किया है-तभी लिखे जब यह सच होः
- लिखें कि 'मैं यह वादा करता हूँ कि मैं भागूँगा नहीं/गवाहों को गुमराह नहीं करूँगा/सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं करूँगा/और जब भी जरूरत पड़े अदालत या पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाउँगा।'
- मेरी यह प्रार्थना है कि मुझे जमानत पर रिहा किया जाएँ।
- अपने बारे में कोई और जानकारी देना चाहें तो दे सकते है जैसे मैं ..... जगह/समुदाय का रहने वाला हूँ। ..... समुदाय/जगह के लोग मुझे जानते है और इसलिए मेरे भाग जाने की आशंका नहीं होनी चाहिए।

- यह अर्जी आपकी अदालत में पहली पेशी के दिन जज साहब को दी जा सकती है।

- जमानत की अर्जी एक सादे कागज पर भी दी जा सकती है।

अग्रिम जमानतः जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है यानि कि गिरफ्तारी की स्थिति में उसको तुरन्त जमानत पर छोड़ दिया जाए।

जमानत कैसे होती है?

जमानती अपराध

- जिस जुर्म में पुलिस अपराधी को जमानत पर छोड सकती है उसे जमानती जुर्म कहते हैं। ऐसे में अपराधी अपने रिश्तेदार या पहचान के किसी व्यक्ति से कहकर उसके द्वारा जमानत देने पर छूट सकता है। जमानत किसी भारी रकम की नहीं होती। कुछ रूपयों की जमानत देकर आपको छोड़ दिया जायेगा।

- जमानत का तरीका बहुत ही सरल है इसके लिये आपको किसी वकील की मदद की भी जरूरत नहीं है। पुलिस आपको एक फार्म (आवेदन पत्र) देगी। आप इसे भरकर उन्हें दे दीजिये। अगर आपको पढ़ना-लिखना नहीं आता हो तो अपनक किसी पहचान वाले से फार्म को भरवा लीजिये। आप चाहें तो पुलिस वालों से भी उसे भरवा सकती हैं।

- इसके अलावा एक या दो व्यक्ति भी जमानत देंगे। जमानत पत्र में यह लिखा होगा कि जरूरत होने पर तुम पुलिस या कोर्ट में हाजिर रहोगे, इसकी जिम्मेदारी उन पर है।

- जमानत करते समय कुछ पैसे नकद नहीं दिये जाते। हाँ, अगर आरोपी कार्यवाई में शामिल न हो या भाग जाए, तो उसकी जमानत देने वालों को जमानत पत्र में लिखा पैसा भरना पड़ेगा।

- जमानती जुर्म में जमानत होने पर पुलिस को आपको तुरन्त छोड़ना पड़ेगा। यह आपका अधिकार है।

कुछ अपराधों के लिये ज़मानत मिलना आपका अधिकार है।

कोई भी व्यक्ति न्यायिक हिरासत के दौरान जमानत या अग्रिम जमानत, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से करवाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय स्तर पर या उच्चतम न्यायालय स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र नीचे दिये गये पते पर किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय स्तर पर - हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस०सी०ओ० 142-143, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़। दूरभाष नम्बर - 0172-2604055, फैक्स नम्बर - 0172-2622875.

उच्चतम न्यायालय स्तर पर - उच्चतम न्यायालय मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता संस्था, 109, लायर्स चैम्बर, पोस्ट आफिस विंग, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउंड, नई दिल्ली, फैक्स/दूरभाष - 011-23388597.

या

सचिव, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, 109, लायर्स चैम्बर, पोस्ट आफिस विंग, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउंड, नई दिल्ली।

जमानत–पत्र

जमानत–पत्र का एक फार्म होता है। उसमें निम्न बातें लिखनी होंगीः–

- आपका नाम
- आपका पता
- थाने या कोर्ट का नाम
- जमानत की रकम
- जमानत की शर्ते (जैसे, किसी भी दिन बुलाये जाने पर उस थाने या कोर्ट में हाजिर होने के लिए वचनबद्ध होना)

उसमें यह भी लिखा जायेगा कि जमानत की शर्ते यदि तोड़ी गई, तो सरकार के पक्ष में जमानत की रकम जब्त कर ली जाये।

जमानत की शर्ते तोड़ने पर, जमानत लेने वाले को एक सूचना दी जायेगी कि जमानत की रकम जमा करवा दे। उस पर भी यदि वह नहीं देता, तो जमानत की रकम उसकी सम्पति में से जब्त करने का वारन्ट निकाला जायेगा। जमानत की शर्ते तोड़ने पर आरोपी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अजमानती अपराध

- अगर पुलिस कहती है सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही आपको जमानत पर छोड़ने का आदेश दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जुर्म जमानती जुर्म नहीं है। आपको हक के तौर पर जमानत नहीं मिल सकती। तब जमानत पर छूटने के लिए आपको मैजिस्ट्रेट को अर्जी देनी होगी। आपके जुर्म को देखकर मैजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़ने या न छोड़ने का आदेश देंगे।

  यदि आरोपी मुकदमा चलने की अवधि में अपने आरोपित अपराध के लिए दी गई सजा का आधा समय हिरासत में काट चुका हो तो उसे निजी बाण्ड पर छोड़ना आवश्यक है। यह प्रावधान मृत्यु दण्ड दिए जाने वाले अपराधों पर लागू नहीं होता।